

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

गुड्डराम vs सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- ११५ / 2024

--:आदेश :-

दिनांक :- 15/10/23

प्रार्थी गुड्डराम

पुत्र श्री मुन्नीलाल

जाति कोकी निवासी शेखावत तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम
दुरूस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा
को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें
तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम शेखावत की
जमाबन्दी सम्वत् २०७६-७९ के खाता सं. २१७ में दर्ज अशुद्ध
नाम गुड्डराम पुत्र मुन्नीलाल जाति कोकी
निवासी शेखावत का शुद्ध नाम गुड्डराम
पुत्र मुन्नीलाल जाति कोकी निवासी शेखावत की राजस्व रेकर्ड
में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का दस्तावेज

के अभाव में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Wah
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा